NAME OF THE NEWSPAPER हिन्दुस्तान **DATE:** 17 JUN 2012

आमने सामने | वीरावल्ली सुंदरम संपत

मतदाताओं की सहूलियत ही सबसे बड़ी प्राथमिकता

देश के मुख्य चुनाव आयुक्त **वीरावल्ली सुंदरम संपत** न तो दिल्ली की गरमी से अनजान हैं और न राजधानी में रहने वाले राजनेताओं के मिजाज से। 1973 बैच के आईएएस संपत ऊर्जा के अलावा उर्वरक व रसायन मंत्रालय जैसे महकमों में सचिव रह चुके हैं और अब हिन्दुस्तान की जम्हूरियत के सबसे बड़े प्रहरी के पद पर आसीन हैं। इस वक्त वह राष्ट्रपति चुनाव में व्यस्त हैं। इसी मसरूफियत में उनसे बातचीत की **सुनील मक्कर** व **उत्पल भास्कर** ने। प्रस्तुत हैं बातचीत के अंशः

आप एक ऐसे वक्त में चुनाव आयोग के सदस्य रहे हैं, जब मतदान प्रतिशत में जबर्दस्त इजाफा देखने को मिला। आखिर इस बढ़ोतरी की वजह क्या थी?

दरअसल, बिहार चुनावों (2010) में हमने पहली बार सरकारी अधिकारियों द्वारा मतदाताओं की शिनाख्त करने वाली परचियां बंटवाई, इसका सुखद फल देखने को मिला। पहले ये परचियां राजनीतिक पार्टियां बांटती थीं, लेकिन वे अपने ही समर्थक वोटरों को ये परचियां पहुंचाती थीं। इस तरह सभी पार्टियां अपने-अपने समर्थकों को तो ये उपलब्ध करा देती थीं, लेकिन जो तटस्थ मतदाता थे, वे इनसे वंचित रह जाते थे। फिर राजनीतिक दलों की यह शिकायत होती थी कि चुनाव आयोग उम्मीदवारों की खर्च-सीमा को लेकर तो बेहद सख्त रवैया अपनाता है, जबकि इन परचियों को बांटने में ही काफी खर्च होता है। अब यदि चार उम्मीदवार हैं, तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा परचियां बांटने में काफी खर्च करना पड़ता। तो बिहार चुनावों के वक्त हमने सोचा कि क्यों न यह काम हम करें? लेकिन हमने किसी पार्टी को परची बांटने से मना नहीं किया। इसका असर वोटिंग फीसदी में दिखा।

चुनावी सुधार को लेकर आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं?

मैं चुनाव प्रबंधन के कुछ बुनियादी बिंदुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। उनमें से एक है- वोटर बनने की प्रक्रिया को आसान बनाना। मिसाल के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहता है, तो क्या वह बिना किसी परेशानी या तकलीफ के ऐसा कर सकता है? हमें बराबर ये शिकायतें मिलती हैं कि जब लोग वोट डालने मतदान केंद्र पर जाते हैं, तो वोटर लिस्ट में उनका नाम ही नहीं होता। इसलिए जब मैं तकलीफ-मुक्त नाम दर्ज कराने की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि बिना किसी परेशानी के नाम दर्ज करना, गलतियां ठीक करना और पहचान-पत्र मुहैया करना।

चुनावों में सार्वजनिक कोष को लेकर आपकी क्या राय है?

इस पर चुनाव आयोग को रुख अख्तियार करना होगा, कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। वैसे भी चुनावी खर्च सिर्फ जो दिखता है, वही नहीं है, कुछ गोपनीय तौर पर भी खर्च होता है। यदि आप किसी से पूछें कि आपने कितना पारदर्शी तरीके से खर्च किया और कितना चोरी-छिपे, तो क्या वह आपको सच बताएगा? मूल समस्या यही है। दूसरी बात यह कि हमारे यहां जिस तरीके से चुनाव होते हैं, उनमें किसी न किसी रूप में सार्वजनिक फंड तो शामिल है ही। चुनावों के वक्त हम उम्मीदवारों को मुफ्त में मतदाता सूची मुहैया कराते हैं। सरकारी मीडिया मतदाताओं तक अपने संदेश पहुंचाने के लिए सियासी पार्टियों को वक्त अलॉट करता है। ये सब भी पब्लिक फंडिंग ही हैं। फिर राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चुनावी चंदे पर कोई टैक्स नहीं लगता। यह एक अलग तरह का सार्वजनिक खर्च है। इन तमाम पहलुओं के बीच आप अपने सवाल के जवाब तक पहुंच सकते हैं।

मतदाताओं के जिस डेटा का प्रबंधन आप करते हैं, क्या भविष्य में इस डेटा-प्रबंधन की आउटसोर्सिंग की आपकी कोई योजना है?

दो परिस्थितियों में ही कोई आउटसोर्सिंस करता है- एक तब, जब आप सोचते हैं कि आप उसे संभाल नहीं सकते और दूसरी स्थिति तब पैदा होती है, जब आप तय करते हैं कि कोई बाहरी एजेंसी आपसे कहीं बेहतर तरीके से और किफायत में आपका काम कर सकती है। मतदाता सूची हमारी चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद है। इसलिए इसकी आउटसोर्सिंग नहीं की जा सकती।

चुनाव आयोग के पास वोटरों का जो डेटाबेस है, उसे आधार नंबर व एनपीआर के पास मौजूद जानकारियों से जोड़ने की बात की जा रही है। इससे क्या होगा?

हमारे पास 75 करोड़ से अधिक लोगों के डेटाबेस हैं। यूआईडीएआई (आधार) के पास अब तक तकरीबन 10 करोड़ लोगों के डेटाबेस हैं। गृह मंत्रालय के अधीन एनपीआर के पास भी कुछ डेटा हैं। आने वाले समय में जब हम इन तमाम सूचनाओं को एक जगह करने में सक्षम होंगे, तो मुमकिन है कि हम इनमें से सर्वश्रेष्ठ चीज चुन सकें। आधार और एनपीआर में वे अंगूठे के निशान और बायोमेट्रिक डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जब इन सभी को एक जगह किया जाएगा, तो हमें सभी वोटरों के बायोमेट्रिक्स अलग से इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक-दूसरे की सूचनाओं का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसी तरह, यदि उन्हें लगता है कि हमारे पास जो डेटा हैं, वे उनके लिए उपयोगी हैं, तो वे इसका प्रयोग कर सकते हैं।

यदि कोई उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो क्या वाकई चुनाव आयोग के पास उसके खिलाफ कार्रवाई की ताकत है?

इस प्रश्न का जवाब आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए, जिसे इस संदर्भ में आयोग का नोटिस मिला हो, वह आपको बताएगा कि हम एक दंतहीन संगठन हैं या वाकई हमारे पास दांत भी हैं।

आपने सरकार को 'राइट टु रिजेक्ट' विकल्प के बारे में सरकार से सिफारिश की थी। उसकी क्या स्थिति है?

मेरा मानना है कि सरकार में ऐसी चीजों का पुलिंदा तैयार करने का रवैया है। वह उसी वक्त कोई कदम नहीं उठाती, जब कोई प्रस्ताव उसके पास भेजा जाता है। ...इसके लिए कानून में संशोधन करने होंगे और मंत्रालय को यह करना ही पड़ेगा।